जीसीएमएस नं.2025/67

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 01/2025

राज्य सरकार जरिये श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक, सादुलशहर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, जाति मेहरा, निवासी वार्ड न. 16, सादुलशहर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 01 सिलेण्डर मय 2.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी सतीश कुमार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक: 11.07.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर श्री धर्मपाल प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 19.02.2025 को तनुष नमकीन भंडार रेहड़ी, धानमंडी रोड, सादुलशहर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, जाति मेहरा, निवासी वार्ड न. 16, सादुलशहर उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को उक्त रेहड़ी का मालिक होना बताया।

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद की उपस्थिति में रेहड़ी का निरीक्षण किया गया। रेहड़ी की जांच में पाया कि रेहड़ी पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग चाय/नमकीन बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त रेहड़ी पर 1 एलपीजी गैस सिलेंडर पाया गया। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कम्पनी का है। मौके पर पाया गया 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद की रेहड़ी पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.8 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **अमनदीप पुत्र श्री जलंधर सिंह, जाति जटसिख, निवासी बुधसिंहवाला, सादुलशहर गैस सर्विस, सादुलशहर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद के द्वारा 01 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.8 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 01 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलव किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील पुलिस थाना सादुलशहर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर को स्वयं से तामील करवाई गई। अप्रार्थी स्वयं द्वारा तामील होने के बावजूद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर श्री धर्मपाल प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 19.02.2025 को तनुष नमकीन भंडार रेहड़ी, धानमंडी रोड, सादुलशहर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, जाति मेहरा, निवासी वार्ड न. 16, सादुलशहर उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को उक्त रेहड़ी का मालिक होना बताया। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद की उपस्थिति में रेहड़ी का निरीक्षण किया गया। रेहड़ी की जांच में पाया कि रेहड़ी पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग चाय/नमकीन बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त रेहड़ी पर 1 एलपीजी गैस सिलेंडर पाया गया। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कम्पनी का है। मौके पर पाया गया 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद की रेहड़ी पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.8 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **अमनदीप पुत्र श्री जलंधर सिंह, जाति जटसिख, निवासी बुधसिंहवाला, सादुलशहर गैस सर्विस, सादुलशहर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद के द्वारा 01 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.8 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 01 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर
Scanned with OKEN Scanner

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर श्री धर्मपाल प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 19.02.2025 को तनुष नमकीन भंडार रेहड़ी, धानमंडी रोड, सादुलशहर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, जाति मेहरा, निवासी वार्ड न. 16, सादुलशहर उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को उक्त रेहड़ी का मालिक होना बताया। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद की उपस्थिति में रेहड़ी का निरीक्षण किया गया। रेहड़ी की जांच में पाया कि रेहड़ी पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग चाय/नमकीन बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त रेहड़ी पर 1 एलपीजी गैस सिलेंडर पाया गया। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कम्पनी का है। मौके पर पाया गया 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद की रेहड़ी पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.8 किलोग्राम गैस को जरिये फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **अमनदीप पुत्र श्री जलंधर सिंह, जाति जटसिख, निवासी बुधसिंहवाला, सादुलशहर गैस सर्विस, सादुलशहर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद के द्वारा 01 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.8 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत अप्रार्थी **श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** मौके से जब्त 01 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.8 किलोग्राम गैस को राजसात का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रवर्तन निरीक्षक, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर